

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)

अनुविभाग खेरागढ़ जिला खेरागढ़-छुईखवा-7062 (ज.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 1483 दिनांक 20/02/2023

संदर्भित आदेश के अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक) 12/09/2023 को ग्राम अमलीडीहकला प0ह0न0.....के भूमिस्वामी श्री नोरन वर्मा आ कन्हैया वर्मा जाति लोधी के आवेदित भूमि ख0न0 2248/1 रकबा 0.142 हे. का मौका निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उनके नातेदार नोरन वर्मा पिता कन्हैया

(ख) सरपंच/पंच रुपेन्द्र वर्मा / युवराज वर्मा (उपसरपंच)

(ग) पटवारी/कोटवार.....

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी केशराम वर्मा, अंगलीन बाई, मुकेश कुमार, सुब

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या.....

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या 19 नग - सागौन वृक्ष

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक.....को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि-

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या निरंक

(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति और संख्या 03 सागौन वृक्ष

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या.....

(घ) वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हो,.....

(ङ) अन्य विवरण.....

राजस्व अधिकारी का नाम
मृणादित्य
पदनाम

हस्ताक्षर Akshay
few-36

केशराम वर्मा
अंगलीन बाई
M. J. J.

युवराज वर्मा (उपसरपंच)

नोरन वर्मा
परिक्षेत्र सहायक
वन अधिकारी का नाम
खरागढ़
पदनाम
हस्ताक्षर.....

// संयुक्त स्थल निरीक्षण //

आज दिनांक 18/09/25 को ग्राम अमलीडीह कला पोहोच नं०..... रा.नि.मं. धुलाडोला
तहसील खैरागढ़ जिला खैरागढ़ - डुईयदाग - 9/03 ई (छ.ग.) में न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/25 के परिपालन में आवेदक नौरन वर्मा
पिता/पति कन्हैया वर्मा जाति लोधी निवासग्राम अमलीडीह कला द्वारा
आवेदित भूमि ग्राम अमलीडीह कला खसरा नं. 2248/1 क्षेत्रफल 0.142
हे. में स्थित इमारती सागौन वृक्षों का मौके पर राजस्व अधिकारी/कर्मचारी एवं वन विभाग के
अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया, विवरण निम्नानुसार है:-

क/इमारती वृक्ष का रोपण नहीं किया गया है वृक्ष नैसर्गिक है। इमारती सागौन वृक्ष रोपित हैं.

ख/आवेदक की भूमि जिस पर वृक्ष खड़े हैं, वन विभाग से कितनी दूरी पर स्थित है 06 किलोमीटर

ग/यदि पी0एफ0 लाइन से दूर है तो दूरी 06 किलोमीटर

घ/क्या आवेदक के भूमि के अत्यंत समीप से पी0एफ0 लाइन गई हुई है 06 किलोमीटर

ङ/क्या प्रस्तावित वृक्ष काटने की अनुमति दिये जाने पर वन की भूमि से अवैध कटाई की संभावना
है नहीं

कंराराम वर्मा अंगतीब बाई

नौरन लाल

Subdint

फैव. 36

18/09/25

सुवराज वर्मा (उपसहयक)

निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक
धुलाडोला

परिक्षेत्र सहायक
खैरागढ़

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुभाग-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुइखदान-गंडई

आवेदक का नाम:-

पिता/पति का नाम:-

ग्राम ममलीडीह नं. रा. नि. मं.

तहसील जिला खैरागढ़ छुइखदान-गंडई

वृक्षों की सूची

स.कं.	खसरा नं.	रकबा हे.में	वृक्षों की प्रजाति	वृक्ष का क्रमांक	सीने की गोलाई से.मी. में	वृक्ष गीले/सूख खड़े/गिरे हुए	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8
01	2248/1	0.142	सागौन	01	65 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
02	—	—	—	02	130 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
03	—	—	—	03	70 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
04	—	—	—	04	60 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
05	—	—	—	05	65 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
06	—	—	—	06	80 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
07	—	—	—	07	120 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
08	—	—	—	08	60 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
09	—	—	—	09	70 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
10	—	—	—	10	120 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
11	—	—	—	11	95 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
12	—	—	—	12	110 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
13	—	—	—	13	62 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
14	—	—	—	14	80 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
15	—	—	—	15	62 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
16	—	—	—	16	75 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
17	—	—	—	17	100 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
18	—	—	—	18	55 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	
19	—	—	—	19	80 से.मी.	गीले एवं खड़े हल	

(Signature)

कुं सराम वर्मा
मुख्य राजवर्मा (उपस्थित)
अंडा तालिका

लोखन बाबा

परिक्षेत्र सहायक
खैरागढ़

राजस्व निरीक्षण
मूलादाल